फ्लैग मार्च निकाला : सरवाड़ में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जयपुर राजस्थान में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन के कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं नंदिनी शर्मा सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में द्रुत कार्य बल की एक प्लाटून द्वारा शहर में प्रमुख मार्गो से होते हुए सदन बाजार में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान सरवाड़ थानाअधिकारी जगदीश प्रसाद अपने थाने के जाप्ते के साथ फ्लैग मार्च में मौजूद रहे वहीं फ्लैग मार्च पथवारी माता मंदिर परिसर से शुरू होकर बस स्टैंड विजय द्वार, सदर बाजार दुधादिया मोहल्ला दाऊल मीर मंदिर काजियान मस्जिद दरगाह बाजार मोमिन चौक नाथ मोहल्ला बस स्टैंड पहुंचकर संपन्न हुआ।

जिला कलेक्टर ने किया ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन

अजमेर (कासं)। सेवा पखवाड़ा 2025 के अन्तर्गत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का जिला कलेक्टर लोक बन्धु के द्वारा गुरूवार को अवलोकन किया गया। जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने पालरा एवं बीर ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सेवा शिविर का निरीक्षण कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के दस्तावेजों का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराएं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े समस्त किसानों की भी फॉर्मर रजिस्ट्री होनी चाहिए। साथ ही किसानों को गिरदावरी एप का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इससे गिरदावरी का कार्य तेज गति से हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के समस्त 10 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के बैंक खाते आवश्यक रूप से खुलवाए। न्यायलयों के भी सभी नोटिस तामील होने चाहिए। समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। पालनहार योजना के लाभार्थियों के सम्पर्क में रहकर सत्यापन करावें। समस्त किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पोलिसी वितरित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा समस्त पुरानी शिकायते प्री-कैम्प के दौरान ही निस्तारित कर देनी चाहिए। बिजली के झुलते तारों को ठीक करवाएं।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के अन्तर्गत भी निर्देशानुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी गरिमा नरूला, जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़, तहसीलदार ओम सिंह लखावत, विकास अधिकारी सुधीर पाठक सहित जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

न्यायपालिका, प्रशासन और पुलिस मिलकर मध्यस्थता का मार्ग प्रशस्त करेंगे

ब्यावर (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चल रहे मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान के तहत ब्यावर जिले में 24, 25 एवं 26 सितम्बर 2025 को मध्यस्थता कैम्प आयोजित किए जायेंगे, जिनका उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र और आपसी सहमति से निपटारा करना है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, प्रशासन और पुलिस मिलकर मध्यस्थता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अधिकांश प्रकरण राजीनामे से समाप्त होते हैं, ऐसे में अनावश्यक समय गंवाने के बजाय हमें अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता से निस्तारित करना चाहिए। वर्तमान में ब्यावर जिले में लंबित प्रकरणों के अवलोकन में पाया गया कि ऐसे बहुत सारे मुकदमे लंबित है जिनमे राजीनामे की गुंजाइश है। आवश्यकता एक ऐसे मंच की है जहां पर दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर अपने विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इससे न्यायालय में लंबित प्रकरणों का भार काम होगा जिससे न्यायपालिका त्वरित निर्णय देगी तो अपराधियों में भय और आमजन में न्याय पर विश्वास और अधिक बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि केरल में इस अभियान का सफल प्रयोग हो चुका है और अब ब्यावर भी इसी राह पर आगे बढ़ेगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 24 से 26 सितम्बर तक ब्यावर में आयोजित होने वाले मध्यस्थता कैम्प की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी गई।अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विजय प्रकाश सोनी ने कहा कि अक्सर छोटे-छोटे प्रकरण व्यक्ति के ईगो के कारण कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जबकि अंततः वे मध्यस्थता और राजीनामे पर ही समाप्त होते हैं। ऐसे में मध्यस्थता की राह सबसे उपयुक्त है। जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने जिला न्यायाधीश महोदय को आश्वस्त किया कि अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद रहेगा।पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने भी इस अभियान को अत्यंत उपयोगी बताया और मीडिया से आव्हान किया कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। पुलिस प्रशासन सदैव इस कार्य के लिए तैयार है।

जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की मांग

अजमेर (कासं)। बोराज गांव में 4 सितंबर को तालाब की पाल टूटने की घटना के बाद अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुरुवार को युवा कांग्रेस ने एसपी वंदिता राणा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत के कारण हजारों लोग जलमग्न हुए और उनका जीवन संकट में पड़ा। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि 4 सितंबर 2025 को अजमेर जिले के बोराज गांव स्थित तालाब की पाल टूटने की घटना से हजारों नागरिकों का जीवन संकट में आ गया। स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार पानी रिसाव और पाल टूटने की संभावना के बारे में संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को पूर्व में मौखिक रूप से सूचित किया गया था।

जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की मांग : सागर मीणा ने बताया कि पूर्व में अधिकारियों को सूचित किया था, लेकिन इसके बावजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों, एडीए सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने संवैधानिक, वैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही हजारों मकान सप्ताह से अधिक समय तक जलमग्न रहे तथा मानव जीवन प्रत्यक्ष रूप से संकट में पड़ा। यह स्पष्ट रूप से गंभीर आपराधिक लापरवाही प्रमाणित होती है, उन्होंने कहा कि लापरवाही एवं घातक कृत्य से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को संकट में डालना जिससे साधारण व गंभीर चोटे अतः मृत्यु का खतरा उत्पन्न हुआ। अधिकारियों द्वारा जानबूझकर लापरवाही और मिली भगत से जिम्मेदारी तय या तथ्य छुपाने का कार्य किया। ये न केवल प्रशासनिक लापरवाही बल्कि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही फिर से न हो सके। एसपी को ज्ञापन देने वालों में सागर मीणा, लोकेश शर्मा, प्रदेश सचिव अकबर हुसैन, संजय मेघवंशी, कविता कहार, नितेश राठौड़, गर्व दत्त, चिरंजीव सिंह, मुनींद्र मीणा, फैजान हैदर, अमित जैन, सलमान चीता, सद्दाम खान, अभिनव भटनागर, प्रिंस प्रजापत, शाहबाज खान, यश बुंदेल, नितिन शर्मा, अली नासिर व पद अधिकारी मौजूद रहे।

राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान

अजमेर(कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश पर देशभर में चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के तहत बुधवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियांन चलाने के लिए बुधवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संभागीय प्रभारी रामविलास चौधरी, अजमेर प्रभारी प्रदेश महासचिव चेतन डूडी एवं विधानसभा प्रभारी प्रदेश सचिव मुकुल गोयल की सदारत में हुई। बैठक में शहर अध्यक्ष विजय जैन ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत विधानसभा स्तर ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर एवं वार्ड स्तर तक हस्ताक्षर अभियान चलाने पर विचार व्यक्त किए। जैन ने कहा कि अभियान की शुरुआत इसलिए की है ताकि देश में चुनावी व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। जिला प्रभारी चेतन डूडी और कार्यक्रम प्रभारी मुकूल गोयल ने बताया कि कांग्रेस इस अभियान को बूथ स्तर तक ले जाएगी। आम जनता से हस्ताक्षर कराकर चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे ताकि निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था के लिए दबाव बनाया जा सके। संभाग प्रभारी रामविलास चौधरी ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा यह अभियान देश के हर राज्य में जन समर्थन जुटा रहा है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त हो, जिससे मतदाता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। बैठक में डॉ राजकुमार जयपाल, महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, नाथूराम सिनोदिया, हाजी इंसाफ अली, डॉ सुनील लारा, रामनारायण गुर्जर, डॉ गोपाल बाहेती, गजेन्द्र सिह रलावता अंकुर त्यागी, श्याम प्रजापति, विपिन बैसिल, रश्मि हिंगोरानी, रेनू मेघवंशी, प्रियंका चौधरी, कैलाश कोमल, बलराम शर्मा, अशोक बिंदल, आदी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चन्द्रवरदाई नगर योजना के आवसीय भूखण्ड सख्या F-102 क्षेत्रफल 136.11 वर्ग गज आवंटी / अन्तरिति रमेश गिदवानी पुत्र टिलूमल गिदवानी निवासी F-102 चन्द्रवरदाई नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 6/7/25 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा पंजीकृत /अपंजीकृ दिनांक 6/9/2024 संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्रीमती शालू गिदवानी पत्नि स्व रमेश गिदवानी निवासी F-102 चन्द्रवरदाई नगर अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। - योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत अरांई पंचायत समिति अरांई(अजमेर)

क्रमांक: ग्रा.पं.अ./218/2025 **आम सूचना** दिनांक-17/09/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गोपाल गुर्जर पुत्र गोगाराम गुर्जर निवासी अरांई द्वारा निम्नलिखित पट्टा रा.प.रा.नि.173/क के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर वसीयतनामा के आधार पर स्वयं के नाम इन्द्राज करवाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 23/10/2024 को निर्णय लिया जाकर 1 माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जाता है। पट्टे का विवरण-

क्र.सं.	नाम मय पिता का नाम	पट्टा सं./वर्ष	क्षेत्रफल	सीमाएं
1.	छोगा पुत्र सुखेदव गुर्जर	01/4/2007	1350 वर्ग फीट	उत्तर- सड़क के मध्य से 75 फीट दूरी पर दक्षिण- श्रीमती गायत्री पत्नि जसवंत मीणा पूर्व- 20 फीट चौड़ा रास्ता व स्वयं का निकास पश्चिम- कोडिया सागर की पाल

उक्त किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति 1 माह में दर्ज करवा सकते हैं। 1 माह के समय उपरान्त किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः सूचित रहे।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अरांई, पं.स.अरांई, जिला अजमेर — प्रशासक, ग्राम पंचायत अरांई, पं.स.अरांई, जिला अजमेर

प्ररूप-10- नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद केकड़ी (अजमेर) - राजस्थान

क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि./2023/1831 -लोक सूचना- दिनांक-28/2/2025

आवेदक शकील मोहम्मद पुत्र इकबाल मोहम्मद जाति-मुसलमान निवासी-गुमान सिंह जी का दरवाज, पुर्वियों का मोहल्ला नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
किशनगढ़-अजमेर	सांवतसर	74/4	खसरा नं. 74/4 में कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर अर्थात 1052.00 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज को जारी की गयी। -प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज0)

प्ररूप-10- 6नियम 6 (7) देखिए 8

सं.-919-22 प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा दिनांक: 17/09/25

लोक सूचना

आवेदक कोमल इन्फावेन्चर प्रा0लि0 तरवारिया जिला भीलवाडा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिले सहित	तहसील का नाम	ग्राम का नाम खसरा सं.	क्षेत्र
राजस्व ग्राम तरवारियां	अन्टाली	राजस्व ग्राम तरवारिया खसरा संख्या-1735/1500 व 1736/1500	कुल क्षेत्रफल 5990.00 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी। -प्राधिकारी अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)

क्रमांक :नपकि/भूमि/2025/6636 **आम सूचना** दिनांक-18/09/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला मुखिया पत्नी श्री सुरेश मुखिया ने खांचा भूमि/भोगपड़त के तहत पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो की कृष्णा विहार कॉलोनी, चैनपुरिया मदनगंज किशनगढ़ में है जिसका कुल क्षेत्रफल 99.61 वर्गगज है जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से है-

पूर्व में- चैनपुरिया रोड — पश्चिम में- स्वयं का भूखण्ड बाद में 30' आम रास्ता

उत्तर में- अन्य प्लाट — दक्षिण में- श्री संजय जी, श्री जीत कुमार जी, श्री उपराव जी का मकान

उक्त सीमा मध्य स्थित खांचा भूमि/भोगपड़त के तहत पट्टा जारी किये जाने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित में सूचना प्रकाशन में 7 दिवस में प्रस्तुत करे बाद-मियाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ऐतराज मान्य नहीं होगा। अतः सूचित रहे। -प्रभारी, भूमि शाखा, नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर निगम,अजमेर

क्रमांक :न.नि.अ/भवन/25-26/269 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 8.9.25

श्री किशन आसुदानी पुत्र स्व. श्री दौलतराम आसुदानी, श्रीमती रितु आसुदानी पत्नी श्री किशन आसुदानी, श्रीमती सुमन आसुदानी पत्नी श्री राजकुमार आसुदानी, नरेश आसुदानी पुत्र स्व. श्री दौलतराम आसुदानी, श्रीमती ज्योति आसुदानी पत्नी श्री नरेश आसुदानी निवासीगण 271 हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य कोटड़ा रोड अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 7/489 पुराना, 595/36 नया, ए.एम.सी. नं. 492/14 पुराना 601/37 नया का एक भाग है जो वार्ड नला बाजार अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 194.55 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व- आम रास्ता नला बाजार — पश्चिम- अन्य की सम्पत्ति

उत्तर- गली आम व अन्य सम्पत्ति — दक्षिण - श्री हरिदास जी की दुकान व गोदाम व अन्य की सम्पत्ति

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। -उपायुक्त अजमेर नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम,अजमेर

क्रमांक :न.नि.अ/भवन/25-26/270 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 8.9.25

श्री राजकुमार आसुदानी पुत्र स्व. श्री दौलतराम आसुदानी, श्री किशन आसुदानी पुत्र स्व. श्री दौलतराम आसुदानी, श्रीमती सुमन आसुदानी पत्नि राजकुमार आसुदानी, श्रीमती रितु आसुदानी पत्नी श्री किशन आसुदानी एवं श्री गर्वित आसुदानी पुत्र श्री नरेश आसुदानी निवासीगण 271 हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य कोटड़ा रोड अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 14/532 व 14/533 पुराना, 39/644-39/645 नया, ए.एम.सी. नं. 39/633 का पश्चिमी भाग स्थित नला बाजार एवं ए.एम.सी. नं. 7/527 पुराना 639/39 नया स्थित चुन रचान गली अजमेर अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 124. 92 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व-श्री अमोलकचन्द कासलीवाल व अन्य की सम्पति ए.एम.सी. नं. 14/535 — पश्चिम-जायदाद श्री नेमीचन्द जी इन्द्रभान सोनी ए.एम.सी. नं. 14/531

उत्तर- गली — दक्षिण - रास्ता आम नला बाजार का है

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। -उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम,अजमेर

क्रमांक :न.नि.अ/भवन/25-26/268 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 8.9.25

श्रीमती रितु आसुदानी पत्नी श्री किशन आसुदानी, श्री राजकुमार आसुदानी पुत्र स्व. श्री दौलतराम आसुदानी निवासीगण 271 हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य कोटड़ा रोड अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 7/515, 507/07, 07/508 7/513 7/514 चुनपचान गली नला बाजार अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 182.37 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व- चौक व अन्य की सम्पत्ति — पश्चिम- अन्य की सम्पत्ति

उत्तर- अन्य की सम्पत्ति — दक्षिण - रास्ता आम

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। -उपायुक्त अजमेर नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक: नियमन/25-26/1365 **आम सूचना** दिनांक-17/09/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रकाशचंद रांका पुत्र श्री सोहनलाल रांका निवासी के.एस. तालेड़ा मार्केट, पीपलिया बाजार, ब्यावर ने राजस्व ग्राम नयानगर के खसरा नंबर 1682 में स्थित परमेश्वर नगर के भूखण्ड संख्या 03 कुल क्षेत्रफल 140.61 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर-भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। (सीमाएं साई प्लान के अनुसार)

पूर्व	:	प्लाट नं. 04
पश्चिम	:	रोड 60 फीट
उत्तर	:	प्लाट नं. 02
दक्षिण	:	रोड 30 फीट

आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक: नियमन/25-26/1379 **आम सूचना** दिनांक-17/09/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गिरधारी लाल अग्रवाल पुत्र श्री मदनलाल निवासी भजन नगर, अजमेर रोड, ब्यावर द्वारा राजस्व ग्राम नूसिंहपुरा के खसरा नं. 452, 457 से 460 में स्थित अराजपत्रित कर्मचारी कॉलोनी गायत्री नगर के भूखण्ड सं ख्या 27 कुल क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज भूमि का आवासीय लीज होल्ड से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन सहित फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर-भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। (सीमाएं साई प्लान के अनुसार)

पूर्व	:	प्लाट नं. 32
पश्चिम	:	रोड 20 फीट
उत्तर	:	प्लाट नं. 28
दक्षिण	:	रोड 60 फीट

आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक-1057 जाहिर आम सूचना दिनांक-15-09-25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2/214, पंचशील, अजमेर क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री पवन माथुर पुत्र श्री एच.डी. माथुर को आवंटित कर दिनांक 14.07.2000 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री पवन माथुर पुत्र श्री एच.डी. माथुर द्वारा दिनांक 26.02.2003 को आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात श्री पवन माथुर पुत्र श्री एच.डी. माथुर द्वारा आवास का वैचान श्री अनूप पारदासानी पुत्र श्री दौलतराम व श्रीमती नैना पारदासानी पत्नि श्री अनूप पारदासानी को दिनांक 27.10.2022 को कर दिया गया है। मण्डल द्वारा श्री अनूप पारदासानी व श्रीमती नैना पारदासानी के पक्ष में दिनांक 30.05.2023 को नागान्तरण के आदेश जारी किये गये। पुनः श्री अनूप पारदासानी व श्रीमती नैना पारदासानी द्वारा आवास का वैचान श्रीमती माना देवी पत्नि श्री महेश चौधरी को दिनांक 04.04.2025 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 965 में पृष्ठ संख्या 73 क्रम संख्या 202503002103299 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3858 के पृष्ठ संख्या 450 से 468 पर दिनांक 04.04.2025 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती पाना देवी पत्नि श्री महेश चौधरी ने उका आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती पाना देवी पत्नि श्री महेश चौधरी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। -सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल,अजमेर

आम सूचना

मेरे दादाजी श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. कज्जा जाति जाट निवासी गांव खेडा कर्मसोतान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास दिनांक 10 अगस्त 1967 को मेरे निवास स्थान पर हो गया है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे। प्रार्थी-गोविन्द पुत्र स्व. रुघनाथ

आम सूचना

मेरा हाऊसिह बोर्ड खोड़ा गणेश रोड़ स्थित मकान नंबर 3 डी 190 PH-1V खोडा गणेश रोड, प्लॉट एरिया 45.210 SQM का पजेशन (कब्जा) सर्टिफिकेट संख्या 1616, 14 सितम्बर 2020 एवं अल्माटमेन्ट संख्या 4368, 18 मार्च 2020 जो की किशनलाल सोलंकी पुत्र मेघाराम सोलंकी के नाम पंजीकृत है। यह है की अलाटमेंट लेटर व पजेशन लेटर दोनों ओरिजनल प्रपत्र दिनाक 15 सितम्बर 2025 को खोड़ा गणेश चौराहे के आस पास मदनगंज-किशनगढ़ में कही गुम हो गये, उपरोक्त दस्तावेज जिस किसी व्यक्ति को मिले तो निम्न पता पर पहुंचाने की कृपा करावे। प्रार्थी-किशनलाल सोलंकी मकान नंबर 188 हाउसिह बोर्ड खोडा गणेश रोड़, मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/148515
DATE :- 17.09.2025 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/7399 दिनांक-17/09/2025

सार्वजनिक सूचना

श्री बसंत कुमार गहलोत पुत्र श्री नोरतमल जी माली, ब्यावर ने क्षेत्र नं. कॉलोनी मां अन्नपूर्ण नगर द्वितीय प्लॉट/मकान 17-ए क्षेत्रफल 75 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड श्री छगनलाल पुत्र श्री रामपाल व अन्य के नाम दर्ज है। तत्पश्चात बेचान नामा दिनांक 21.8.2025, 18.1.2016, 10.8.2015, 4.6.2007 स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/147560
DATE :- 12.09.2025 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/7401 दिनांक-17/09/2025

सार्वजनिक सूचना

श्री मुकेश कुमार गौड़ पुत्र श्री बदरी नारायण जी गौड़, श्रीमती पूनम गौड